



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 10.05.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर आला कलत बांस का डण्डा किया बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2026 को थाना छपरौली पर वादी श्री ब्रहमपाल पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों

- 1.अमित पुत्र आन्नद,
- 2.मोहित पुत्र आन्नद,
- 3.आन्नद पुत्र सुखवीर व



4.काला उर्फ कपिल पुत्र पवन समस्त निवासीगण ग्राम नांगल थाना छपरौली जिला बागपत द्वारा वादी के भतीजे दीपक पुत्र शीशपाल उम्र करीब 27 वर्ष की षड़यन्त्र कर लोहे की रॉड व डण्डो से पीटकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 09-05-2026 को नामजद 02 अभियुक्तों अमित पुत्र आनन्द व आनन्द पुत्र सुखवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 105/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल बाँस का 01 डण्डा बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


कपिल उर्फ काला पुत्र पवन निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण

- आलाकत्ल बाँस का 01 डण्डा।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-रि0का0 107 अमन कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 10.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री राहुल पुत्र राजकुमार निवासी रोहटा थाना रोहटा जनपद मेरठ हाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शिवम पुत्र काला, 2.काला पुत्र नामालूम व 3.मोनू पुत्र कवरपाल द्वारा वादी के मामा के साथ गाली-गलौच करना, शोर शराबा सुनकर वादी घर के बाहर आया तो अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ भी गाली-गलौच करना तथा



अभियुक्तगण मोनू व काला उपरोक्त द्वारा एक राय होकर अभियुक्त शिवम उपरोक्त से गोली मारने के लिये कहना तथा अभियुक्त शिवम उपरोक्त द्वारा पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से वादी पर फायर करना, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया । अभियुक्त शिवम उपरोक्त फायर करते हुये अपनी बाइक Apache UP17AC 0733 मौके पर ही छोड़ कर भाग जाना तथा अभियुक्तगण मोनू व काला उपरोक्त भी मौके से भाग जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस पंजिकृत किया गया ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 134/2026 धारा 109(1)352/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 05-05-2026 को एक अभियुक्त मितेन्द्र उर्फ काला पुत्र सुखबीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


शिवम उर्फ छोटू पुत्र मितेन्द्र उर्फ काला निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष।

## बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट।
- 2-का0 951 पीताम्बर थाना दोघट।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 10.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 296/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 बैटरी बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

दिनांक 10.05.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी यूनुस पुत्र अय्यूब निवासी देशराज मौहल्ला पुराना कस्बा बागपत थाना व जिला बागपत ने डायल-112 पर सूचना दी कि अभियुक्तों

1. विशाल पुत्र उदयवीर व
2. सुमित कुमार पुत्र रामकुमार निवासी गण निवासी न्यूराम परस्त बिहार लोनी जनपद गाजियाबाद



द्वारा वादी के भाई के ट्रक न0 UP17 BT 3419 से ( एमरोन कम्पनी मॉडल न0 NT600E41R) का बैटरी चोरी करते हुए मौके पर चोरी किये हुये बैटरे के साथ पकड लिया । वादी व डायल-112 द्वारा दोनों अभियुक्तों को थाने पर लाया गया, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 296/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- विशाल पुत्र उदयवीर निवासी न्यूराम परस्त बिहार लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष ।
- 2- सुमित कुमार पुत्र रामकुमार निवासी न्यूराम परस्त बिहार लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.का0 क्लर्क 667 दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2.का0 क्लर्क 819 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3. रि0का0 245 अनिकेत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

